संख्या- 25/2016 /841/58-2016-250/2014

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 29 मार्च, 2016**

विषय :- **जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक लेखाशीर्षक 4406-02-112-03 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में वृहत निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-385-88/बजट-आयोजनेत्तर/2015-16, दिनांक 11.3.2015 एवं पत्र सं0-2102/अलं0-29/2015-16, दिनांक 16.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु निर्माण कार्य कराने के लिए आय-व्ययक वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0-9000 हजार(रूपये-नब्बे लाख) मात्र को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क 24-वृहत निर्माण कार्य	9000	9000
	9000	**9000**

(रूपये-नब्बे लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार फेजिंग करते हुए किया जाय।

(3) प्रकरण में कतिपय मदों में अनुरक्षण का भी प्राविधान है जबकि अनुरक्षण के लिए विभागीय बजट से संचालन व्यय के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है। अत: निदेशालय/सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि एक ही मद के लिए दोहरी धनराशि स्वीकृत न हो जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि को दो किश्तों में आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही द्वितीय किश्त आहरित की जायेगी।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने से पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(11) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण दिनांक 31.3.2016 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत् किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-25/2016-841(1)/58-2016, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जौनपुर।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
4- जिलाधिकारी, जौनपुर।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- उप निदेशक उद्यान, वाराणसी मण्डल वाराणसी
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, जौनपुर।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in